न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–शिवपुरी

R-2823-III/14

भगवती देवी मृत द्वारा वसीयतनामा के विधिक वारिसान

1– सुषमा पत्नी कैलाश चन्द्र

2– ममता पत्नी पुष्पेन्द्र अष्टाना

3– उपासना श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव निवासीगण पीली कोठी के सामने ए.बी रोड कमलागंज शिवपुरी (म.प्र.)

श्री [illegible] 30.8.14 को द्वारा आज दि[illegible] प्रस्तुत

30-8-14
क्लर्क [illegible] कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. [illegible]

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– महिला लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व. श्री सुभाषचन्द्र

2– दिलीप सिंहल पुत्र स्व. श्री सुभाष सिंहल

3– मनीषा पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द्र

4– अनिल कुमार पुत्र स्व. बालकिशनदास द्वारा मुख्तयारआम कैलाश सिंहल पुत्र स्व. बालकिशन दास सिंहल समस्त निवासी निजी नवग्रह मंदिर के पीछे, कमलागंज, शिवपुरी (म.प्र.)

Chaturvedi
30/8/14

5– अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी श्री आदित्य सिंह तोमर

...... अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2823–तीन/2014 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–1–2015	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक कं 5 शासन की ओर से पैनल अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण पूर्वाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर अंतिम एवं विस्तृत आदेश पारित किया गया है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे यह प्रकट हो कि पूर्व में किए गए निर्णय के पुर्नविलोकन हेतु आवश्यक कोई आधार हो। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। (डा0 मधु खरे) सदस्य	